

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 595]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 2016/फाल्गुन 19, 1937

No. 595]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 2016/ PHALGUNA 19, 1937

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2016

का.आ. 687(अ).—केन्द्रीय सरकार, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ढ) के पहले परंतुक के खंड (iii) के अनुसरण में, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1149(अ), तारीख 21 अप्रैल, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 3 के सामने, अधिकारी का नाम, पदनाम और पता से संबंधित स्तंभ (2) के अधीन की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“श्री एस. के झा,
महाप्रबंधक (परियोजना-एसपीयू),
बेतिया, पोस्ट बैग सं. 13
कुमार बाग, बेतिया,
जिला-परिश्चम चंपारण
बिहार, पिन-845438”

[फा. सं. 8(7)/2014-सेल-पी.सी]

सुनील बड़थवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1509 (अ), तारीख 2 जून, 2015 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF STEEL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th March, 2016

S.O. 687(E).—In pursuance of clause (iii) of the first proviso to clause (n) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Steel, number S.O. 1149(E) dated the 21st April, 2014, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against serial number 3, for the entries under column (2) relating to Name, designation and address of the officer, the following entries shall be substituted, namely :-

“Shri S.K. Jha,
General Manager (Project-SPU),
Steel Processing Unit,
Bettiah, Post Bag No. 13,
Kumar Bag, Bettiah,
District West Champaran,
Bihar, Pin-845438”.

[F. No. 8 (7)/2014-SAIL-PC]

SUNIL BARTHWAL, Jt. Secy.

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1149 (E), dated the 21st April, 2014 and was amended vide notification number S.O. 1509 (E), dated the 2nd June, 2015.